भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5445

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल नीति

5445. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल नीति-2012 में वर्षाजल संचयन हेतु किये गये उपायों के संबंध में किये गये प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जल संरक्षण/संचयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य विशिष्ट कार्ययोजना बनाने करने का अनुरोध किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल संरक्षण/संचयन की प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक समिति गठित करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या प्रत्येक राज्य में वर्षाजल की भंडारण-क्षमता के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो वर्षाजल संग्रहण के लिए प्रत्येक राज्य की क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितना प्रतिशत जल संग्रहीत किया जा रहा है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में वर्षा जल संचयन के विषय में प्रावधान इस प्रकार किए गए है:-

(i) शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में, उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूमि जल संदूषण, प्रदूषण और झरनों के निस्सरण जैसे मानकों की वैज्ञानिक मॉनिटरिंग शामिल होनी चाहिए।

(ii) राज्यों को जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परम्परागत जल संचय संरचनाओं और जल निकायों का पुनरूद्धार शामिल होना चाहिए।

(iii) जहां तक संभव हो, किसानों द्वारा खेत तालाबों के प्रयोग तथा अन्य मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा वर्षा जल संरक्षण हेतु मनरेगा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) से (घ) जल संसाधन और जलापूर्ति प्रभारी राज्य मंत्रियों की 11 जून, 2019 को एक बैठक हुई थी। यह बैठक जल संरक्षण तथा ज -आपूर्ति-स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, अन्य कार्यक्रमों के साथ जल संचय एवं संरक्षण हेतु योजना के विषय में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी। राज्य सरकारों से जल संरक्षण उपायों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था, ताकि आगामी मॉनसून अवधि में बड़े पैमाने पर वर्षा जल का संचय करना संभव हो सके।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), जल शक्ति मंत्रालय ने "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना-2013" नामक एक संकल्पना दस्तावेज तैयार किया है, जो भूमि जल संसाधनों के संवर्धन के लिए क्षेत्र- विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण तकनीकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। मास्टर योजना, कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।

पेयजल एवं स्वच्छत विभाग ने जल संरक्षण तथा जल की कमी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए राज्यों को 20 मई, 2019 को एडबाइजरी जारी की है।

'मानसून वर्षा के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों' के विषय को आगे बढ़ाने के लिए सचिव (ज.सं.न.वि. और गं.सं.) की अध्यक्षता में एक 'अंतर मंत्रालयी समिति' का गठन किया गया है।

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 की अवधि के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 28 राज्यों में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, जल निकास लाईन सुधार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन आदि शामिल हैं। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में चेक बांधों समेत 5,87,080 जल संचय संरचनाएं सृजित/संरक्षित की गई थीं। राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

भूमि संसाधन विभाग ने राज्यों को जल संरक्षण पर दिनांक 14.05.2018 को तथा उसके बाद दिनांक 17.05.2019 को वाटरशेड विकास परियोजनाओं के तहत व्यापार जल संरक्षण और जल संचय प्रयास करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन तथा अन्य जल संरक्षण उपायों के लिए शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों हेतु शहरी क्षेत्रीय विकास योजना तैयारी और कार्यान्वित करने तथा मॉडल भवन उपनियम संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने जैसे जल संरक्षण उपाय किए हैं। अब तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों : मॉडल भवन उपनियमों के अनुपालन में अपने भवन उप-नियमों में संशोधन किया है अथवा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है जो एक जल संरक्षण तथा जल सुरक्षा अभियान है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, जल शक्ति अभियान में सक्रियता से भाग ले रहा है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "शहरी जल संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश" जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी

स्थानीय निकायों को शहर में वर्षा जल संचयन की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु वर्षा जल संचय प्रकोष्ठ बनाना चाहिए।

(ङ) और (च) प्रत्येक राज्य में वर्षा जल की भंडारण क्षमता के विषय में कोई आकलन नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय जल नीति" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5445 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मास्टर प्लान में यथा प्रस्तावित राज्यवार ग्रामीण और शहरी कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं

क्र.[illegible]	राज्य	ग्रामीण		[illegible]		[illegible]		पुनर्भरण किए
		[illegible] (संख्या)	[illegible] ([illegible] रु.)	[illegible] (संख्या)	[illegible] ([illegible] रु.)	[illegible] (संख्या)	[illegible] ([illegible] रु.)	[illegible] की मात्रा ([illegible])
1	आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	68625	2703.15	750000	1230.00	818625	3933.15	2423.3
2	बिहार	2058	128.81	100000	164.00	102058	292.81	106.27
3	छत्तीसगढ़	87202	1856.21	200000	309.00	287202	2165.21	2954.79
4	दिल्ली	8	0.40	142850	1097.50	142858	1097.90	38.48
5	गोवा	1393	83.58	10000	16.40	11393	99.98	534.45
6	गुजरात	18775	769.00	500000	725.00	518775	1494.00	1593.94
7	हरियाणा	44727	1255.30	376000	1675.00	420727	2930.30	866.26
8	हिमाचल	102328	573.47	50000	82.00	152328	655.47	1788
9	जम्मू और कश्मीर	1688	168.80	100000	145.00	101688	313.80	1700
10	झारखंड	26282	1733.34	200000	290.00	226282	2023.345	1461.87
11	कर्नाटक	72985	1998.66	700000	1148.00	772985	3146.66	11534.73
12	केरल	754427	5457.72	315000	456.75	1069427	5914.47	1701.44
13	मध्य प्रदेश	532724	10717.61	600000	984.00	1132724	11701.60	15383.39
14	महाराष्ट्र	51157	7926.34	1605670	2765.75	1656827	10692.09	3103.43
15	पूर्वोत्तर राज्य	15250	765.90	400000	656.00	415250	1421.90	5714.2
16	ओडिशा	5856	525.00	300000	499.50	305856	1024.50	1268.71
17	पंजाब	79924	2021.47	375000	1650.00	454924	3671.47	1388
18	राजस्थान	9603	1566.07	500000	820.00	509603	2386.07	907.42
19	सिक्किम	1905	54.07	5000	13.25	6905	67.32	277
20	तमिलनाडु	193574	9284.63	0	0.00	193574	9284.63	712.3
21	उत्तर प्रदेश	108945	7629.28	1200000	1968.00	1308945	9597.28	5406.18
22	उत्तराखंड	2900	414.75	48250	68.25	51150	483.00	6591.67
23	पश्चिम बंगाल	97360	3450.06	300000	522.00	397360	3972.06	17897.8
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1640	44.02	1200	8.00	2840	52.02	96.2
25	चंडीगढ़	0	0.00	8700	652.50	8700	652.50	30.71
26	दादरा और नगर हवेली	65	3.38	1000	1.50	1065	4.87	2.94
27	दमन और दीव	0	0.00	4044	4.44	4044	4.44	0.13
28	लक्षद्वीप	0	0.00	6100	30.50	6100	30.50	0.0327
29	पुदुच्चेरी	1740	61.40	1000	3.05	2740	64.45	80.27
	[illegible]	**2283141**	**61192.41**	**8799814**	**17985.39**	**11082955**	**79177.80**	**85563.91**

अनुलग्नक-II

"राष्ट्रीय जल नीति" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5445 के□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 □□2018-19 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सृजित/संरक्षित जल संचय संरचनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.□□	राज्य	□□□□ /संरक्षित जल संचय संरचनाएं (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश**	186532
2	अरुणाचल प्रदेश	564
3	असम	6152
4	बिहार	3818
5	छत्तीसगढ़	7069
6	गुजरात	18480
7	हरियाणा	2892
8	हिमाचल प्रदेश	8836
9	जम्मू और कश्मीर	3438
10	झारखंड	3134
11	कर्नाटक	28132
12	केरल	17725
13	मध्य प्रदेश	24851
14	महाराष्ट्र	10043
15	मणिपुर	10264
16	मेघालय	2335
17	मिजोरम	7531
18	नगालैंड	2465
19	ओडिशा	20974
20	पंजाब	316
21	राजस्थान	99309
22	सिक्किम	169
23	तमिलनाडु	49971
24	तेलंगाना	19353
25	त्रिपुरा	2383
26	उत्तर प्रदेश	22696
27	उत्तराखंड	16962
28	पश्चिम बंगाल	10686
	□□□	**587080**

टिप्पणी: अनंतिम और परिवर्तन के अध्यधीन (राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार) **वाटरशेड क्षेत्र में मनरेगा के साथ मिलकर उपलब्धियों सहित